बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः WB/SPMU/NNP/AA/Batch-II/1569/2017 - 141 पटना, दिनांकः 13/03/2018

प्रेषक,

शशिकांत तिवारी, भा0 प्र0 से0
अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के द्वितीय बैच अंतर्गत तीन जिलों यथा प0 चम्पारण, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 5 नई एकल ग्राम पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार विश्व बैंक साहयतित ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत बिहार को पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम हेत छः वर्षों (2013–14 से 2019–20 तक) में कुल 1606.00 करोड़ की राशि उपलब्ध होने की संभावना है। योजना के निर्माण की राशि का 50 प्रतिशत राशि विश्व बैंक से अनुदान के रूप में तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित केन्द्रांश एवं राज्यांश से क्रमशः 25 प्रतिशत एवं 23.90 प्रतिशत Special Window तथा 1.10 प्रतिशत राशि सामुदायिक अंशदान के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। पाँच वर्ष के O& M में परिचालन एवं रख–रखाव हेतु प्रावधानित राशि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय –समय पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के तहत नीतिगत निर्णय के आलोक में किया जा सकेगा, हालांकि इस कार्य हेतु राज्य सरकार मुख्यतः राज्य मद/सामुदायिक अंशदान पर निर्भर होगी। भारत सरकार द्वारा गत वर्षों में NRDWP Program Funds हेतु विमुक्त राशि में से दिनांकः 01.04.2017 को 84.97 करोड़ रू0 उपलब्ध है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 311.75 करोड़ रू0 का एलोकेशन संसूचित है, जिसके विरूद्ध प्रथम किस्त के रूप में 215.28 करोड़ रू0 भारत सरकार द्वारा विमुक्त किया गया है। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली राशि/उपलब्ध राशि से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

5 नई एकल ग्राम पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

Sl. No.	Name of District	Name of the Scheme	Population		D.B. Cost (Borne Under RWSSP-LIS)	Five Year O & M Cost (Borne under NRDWP)	Total Estimated Cost (in Lakh Rupees)	Per Capita Cost Based on D.B Cost	
			Base Year 2019	Ultimate Year 2049				Base Year 2019	Ultimate Year 2049
1	West Champaran	Rampurwa Bagha-II Single Village Scheme	10610	16186	493.90	62.60	556.50	4655	3051
2	West Champaran	Nawalpur Single Village Scheme	12185	17864	498.20	71.30	569.50	4089	2789
3	West Champaran	Bhangha Part-II Single Village Scheme	8157	23874	512.05	72.05	584.10	6277	2145
4	Muzaffarpur	Patiyasa Single Village Scheme	11496	24630	522.50	47.60	570.10	4545	2121
5	Purnia	Mandal Tola Single Village Scheme	10435	17398	482.80	44.70	527.50	4627	2775
Total		5	52883	99952	2509.45	298.25	2807.70	-	-

2. इस योजना पर होनेवाले विश्व बैंक एवं केन्द्रांश मद की राशि (75%) का व्यय योजना बजट का मुख्य शीर्ष 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष–01– जलपूर्ति लधुशीर्ष–102 ग्रामीण जलपूर्ति– माँग संख्या–36–उपशीर्ष –0230– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम– विपत्र कोड–36-4215011020230 –पी0एफ0एम0एस0 कोड़–9150– विषय शीर्ष–0230.53. 01– मुख्य निर्माण कार्य, मुख्य शीर्ष 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष –01– जलपूर्ति लधुशीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– माँग संख्या –36 –उपशीर्ष –0212– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम– विपत्र कोड–36-4215017890212 –पी0एफ0एम0एस0 कोड़–9150– विषय शीर्ष–0212. 53. 01– मुख्य निर्माण कार्य एवं 4215– एवं मुख्य शीर्ष –4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष –01– जलपूर्ति

लधुशीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना– माँग संख्या –36 –उपशीर्ष –0217– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम– विपत्र कोड–364215017960217– पी0एफ0एम0एस0 कोड़–9150– विषय शीर्ष–2017.53.01– मुख्य निर्माण कार्य। विश्व बैंक हेतु बजट का मुख्य शीर्ष –4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष –01–जलपूर्ति–लधुशीर्ष –102–ग्रामीण जलापूर्ति–माँग संख्या 36–उपशीर्ष –0531–ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (विश्व बैंक संपोषित) विपत्र कोड– 36–4215011020531 पी0 एफ0एम0 एस0 कोड–1383 –0531.53.01–मुख्य निर्माण कार्य। राज्यांश (23.90%) राशि का व्यय योजना बजट का मुख्य शीर्ष 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष–01– जलपूर्ति लधुशीर्ष –102 ग्रामीण जलपूर्ति– माँग संख्या –36 –उपशीर्ष –0330– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम– विपत्र कोड–364215011020330– पी0एफ0एम0एस0 कोड़–9150– विषय शीर्ष–0330.53.01– मुख्य निर्माण कार्य, मुख्य शीर्ष 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष–01– जलपूर्ति–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– माँग संख्या –36 –उपशीर्ष –0312– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम– विपत्र कोड–364215017890312 - पी0एफ0एम0एस0 कोड़–9150– विषय शीर्ष–0312.53.01– मुख्य निर्माण कार्य, मुख्य शीर्ष 4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पुँजीगत पर परिव्यय उपमुख्य शीर्ष–01–जलापूर्ति–जनजातीय क्षेत्र उप योजना– माँग संख्या –36 –उपशीर्ष –0317– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम– विपत्र कोड–364215017960317– पी0एफ0एम0एस0 कोड़–9150– विषय शीर्ष–0317.53.01– मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. योजनाओं की लागत राशि में विश्व बैंक का अंशदान एवं केन्द्रांश मद की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त करायी जानी है, तथा राज्यांश मद की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जानी है। उक्त राशि को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) के अंतर्गत गठित स्टेट प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट यूनिट (SPMU) के बचत बैंक खाता में उपलब्ध कराकर योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, –सह–प्रोजेक्ट मैनेजर, जिला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (DPMU) को राशि विमुक्त की जाएगी।

4. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्य प्रमण्डल के संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना का विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा कार्यों का समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत योजना किसी अन्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।

7. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता–सह–परियोजना प्रबंधन, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, लोक स्वा0 प्रमण्डल होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।

8. कार्य ई–निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

9. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किए गए कार्यों का भुगतान कृत कार्य की गुणवत्ता के जाँचफल के गुण–दोष के आधार पर किया जाएगा।

10. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

11. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

12. इसके नियंत्री पदाधिकारी परियोजना निदेशक, RWSSP-LIS बिहार होंगे।

. वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम 4–53/2007/3758 दिनांकः 31.05.2017 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय किया जाए। यह आदेश विभागीय यी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है।

14. इस हेतु वर्ष 2017–18 के योजना बजट में प्रावधान है।

15. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से करते हुए प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश

19/3/18

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 141 पटना, दिनांकः 13/03/2018

प्रतिलिपिः–

1. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वा0 अभि0 विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग /मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमंख –सह– विशेष सचिव/ परियोजना निदेशक, RWSSP, बिहार/मुख्य अभियंता (नागरिक) –सह– सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन /मुख्य अभियंता (रूपांकन)/अधीक्षण अभियंता (मो0) /विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0)/उप निदेशक, (मूल्यांकन)/सहायक अभियंता (मो0) (दो प्रतियों में)/सहायक अभियंता (मू0)/ प्रशाखा–6 /कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वा0 अभि0 विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अनु0 सहित सभी संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वा0 अभि0 विभाग/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वा0 अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा0 प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/18

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव।